



श्रीमान सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.),  
गुड़ामालानी, जिला बाड़मेर


प्रार्थी:-


दोलाराम पुत्र उदाराम उम्र 42 वर्ष  
जाति जाट निवासी जालीखेड़ा तहसील गुड़ामालानी

बनाम

विप्रार्थीगण :-

- 01- उदाराम पुत्र खेमाराम उम्र 75 वर्ष
- 02- अणदाराम पुत्र उदाराम उम्र 40 वर्ष
- 03- मुलाराम पुत्र उदाराम उम्र 38 वर्ष
- 04- भंवराराम पुत्र उदाराम उम्र 36 वर्ष
- 05- खेतूदेवी पत्नी उदाराम उम्र 75 वर्ष  
जाति जाट निवासी जालीखेड़ा तहसील गुड़ामालानी
- 06- अणदाराम पुत्र उदाराम उम्र 40 वर्ष
- 07- चम्पालाल पुत्र पाबूराम उम्र 37 वर्ष
- 08- वीरादेवी पुत्री पाबूराम उम्र 32 वर्ष
- 09- नेनूदेवी पुत्री पाबूराम उम्र 30 वर्ष
- 10- मानीदेवी पत्नी पाबूराम उम्र 68 वर्ष  
जाति जाट निवासी नेहरो की ढाणी तहसील सिणधरी
- 11- डुंगराराम पुत्र खेमाराम उम्र 60 वर्ष
- 12- भगवानाराम पुत्र धीराराम उम्र 50 वर्ष
- 13- तेजाराम पुत्र धीराराम उम्र 48 वर्ष
- 14- पेमाराम पुत्र धीराराम उम्र 46 वर्ष
- 15- कसूम्बी पत्नी धीराराम उम्र 75 वर्ष
- 16- केहराराम पुत्र अचलाराम उम्र 48 वर्ष
- 17- शेराराम पुत्र अचलाराम उम्र 42 वर्ष
- 18- केसाराम पुत्र अचलाराम उम्र 39 वर्ष
- 19- गंवरीदेवी पत्नी अचलाराम उम्र 68 वर्ष  
जाति जाट निवासी जालीखेड़ा तहसील गुड़ामालानी
- 20- मालाराम पुत्र हुकमाराम उम्र 35 वर्ष

  
जयराज उपाध्याय  
सहायक कलेक्टर


  
गुड़ामालानी

श्रीमान तहसीलदार गुड़ामालानी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं  
आदेश 39 नियम 1 व 2 सी पी सी वास्ते पाने अस्थायी निषेधाज्ञा  
मान्यवरजी,


प्रार्थी का आवेदन निम्न प्रकार है :-

- (1) कि प्रार्थी द्वारा एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 88,40,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया गया है जिसमें वर्णित तथ्यो व ठोस आधारो पर प्रथम दृष्टया प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण सम्भावना है।
- (2) कि प्रार्थी तथा विप्रार्थीगण संख्या 1 से 21 हिन्दु विधि से शासित है , पक्षकारान का एक ही खानदान है। प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 से 5 , विप्रार्थी संख्या 10 से 21 पूर्व पुरुष स्व. खेमाराम के वंशज एवं उत्तराधिकारी है। प्रार्थी तथा विप्रार्थी संख्या 2 से 5 विप्रार्थी संख्या 1 के पुत्र पुत्री तथा स्व. खेमाराम के पोत्र पोती है एवम् विप्रार्थी संख्या 1 खेमाराम का पुत्र है। तथा पक्षकारान का वंश वृक्ष निम्न प्रकार है :-



- (3) कि प्रार्थी तथा 2 से 5 विप्रार्थी संख्या 1 के पुत्र पुत्री तथा खेमाराम के पोत्र पोती है एवम् विप्रार्थी संख्या 1 खेमाराम का पुत्र है। प्रार्थी तथा विप्रार्थी संख्या 1 से 21 के पूर्वजो की पैतृक संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा जालीखेड़ा पटवार क्षेत्र खुडाला तहसील गुड़ामालानी के खसरा संख्या 64 रकबा 68 बीघा 09 विस्वा , खसरा संख्या 92 रकबा 21 बीघा 19 विस्वा, खसरा संख्या 94 रकबा 73 बीघा 09 विस्वा व खसरा संख्या 62 रकबा 11 बीघा 05 विस्वा का अवस्थित है। वाद के अग्रिम पदो में "विवादित आराजी" से संबोधित किया जायेगा।

- (4) कि विवादित आराजी पक्षकारान के पूर्व पुरुष खेमाराम की खातेदारी की थी। खातेदार खेमाराम के देहान्त हो जाने पर उनकी फोतगी के विरासत में विप्रार्थी संख्या 1 उदाराम का नाम खातेदारी में दर्ज हुआ।



18.10  
अज्ञात